**संख्या:12/2018/306/35-4-2018**

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष ,
लोक निर्माण विभाग,
उ0 प्र0 लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक 20 मार्च,2018

विषयः वर्ष 2017-18 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बहराइच में शासनादेश संख्या:574/35-4-2013 दिनांक 31 मार्च, 2013 के द्वारा **कैसरगंज-करनैलगंज मार्ग पर सरयू नदी पर चहलार घाट पर सेतु निर्माण** की रू. 1002.57 लाख की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 501.28 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। तत्पश्चात शासनादेश संख्या:880/35-4-2014 दिनांक 18 जुलाई,2014 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 300.77 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। तदोपरान्त शासनादेश संख्या:234/2016/922/35-4-2016 दिनांक 08 जून,2016 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू. 86.27 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। जिलाधिकारी, बहराइच के पत्र संख्या-747/त्व0आ0 वि0यो0/2012-13 दिनाँक 26 फरवरी,2018 द्वारा उक्त कार्य हेतु उपलब्ध कराई गई जाँच आख्या के आधार पर तथा मुख्य अभियंता, (मु0-1) लो0नि0वि0 के पत्र संख्या:9698 बी.जी./7बी.-3 त्व0आ0वि0यो0/2017-18 दिनांक 15 जनवरी, 2018 के क्रम में पूर्व में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त कार्य की अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू. 888.32 लाख को समायोजित करते हुए अवशेष देय धनराशि रू. 114.25 लाख (रूपये एक करोड़ चौदह लाख पच्चीस हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 31 मार्च, 2013, 18 जुलाई,2014 तथा 08 जून,2016 की शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही अवशेष धनराशि आहरित कर बैंक / □ाकघर/ पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आहरित कर □पाजिट कार्यों के रूप में कार्यदायी विभाग-द्वारा रेमिटेन्स लेखाशीर्ष "8782" के अन्तर्गत-(सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा कर, वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- ए-2-47/दस-97-10(9)/95, दिनांक 3 मार्च, 1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार □पाजिट क्रे□ट लिमिट (□ी0सी0एल0) निर्गत करके व्यय की जायेगी।
3- इस शासनादेश से उक्त कार्य के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्य को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।
4- स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण रूपेण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2018 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा- जोखा 31 मार्च, 2018 तक अपर मुख्य सचिव नियोजन, अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2018 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा ।

6- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-101-पुल-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-01-सेतुओं के चालू कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे □ाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या:8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017 दिनांक 03 अगस्त,2017 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( आर.एन.एस.यादव )
विशेष सचिव।

संख्या:12/2018/306(1)/35-4-2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी ।
6-मण□लायुक्त, देवीपाटन ।
7-जिलाधिकारी, बहराइच।
8-मुख्य विकास अधिकारी, बहराइच।
9-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम।
10-मुख्य कोषाधिकारी, बहराइच।
11-गार्□ फाईल।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
13- राज्य योजना आयोग-1
14-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, बहराइच।

आज्ञा से,

( आर.एन.एस.यादव )
विशेष सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in